न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 120/20

1 साधूसिंह पुत्र गुरदितासिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 केवाईएम ए तहसील खाजूवाला।

.....प्रार्थी

1 वजीरशाह पुत्र अन्तरशाह जाति मुसलमान निवासी जलालसर तहः बीकानेर।
2 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 07.11.2022**

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके चक 1 केवाईएम ए के मु0नं0 18/49 किला नं0 1 में 1 बीघा, किला नं0 13 ता 25 में 13 बीघा कुल 14.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है। चक 29 केवाईडी ए के मु0नं0 18/58 के किलानं0 किलानं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज कागजात है जो चालू है परन्तु प्रार्थी को अपने खेत में प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को चक 29 केवाईडी ए के मु0नं0 18/49 के किला नं0 5 में उतरी पूर्वी कॉर्नर पर 1 बिस्वा रास्ता की आवश्यकता है इसके अलावा अन्य कोई आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 29 केवाईडी ए के मु0नं0 18/49 के किला नं0 5 के उतर पूर्व में सींव पर 1 बिस्वा भूमि रास्ता खेत स्वीकार कर गैरमुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलवी जरिये रजि0ए0डी0 दिनांक 18.2.2021 के उपस्थित नहीं और अप्रार्थी सं0 1 की ओर से दिनांक 04.08.22 को अधिवक्ता ने उपस्थित आकर वकालतनामा मय जवाब पेश करने हेतु निवेदन किया किन्तु अनेक अवसर देने के बाद भी वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 21.10.22 को अप्रार्थी सं0 1 विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/2022/745 दिनांक 07.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुस[illegible] 29 के[illegible] मुरब्बा नं0 18/58, 18/59 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में 2 बिस[illegible] बीघा में रास्ता जो कि मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में कटा[illegible] है मौका पर [illegible] में लिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 18/58 के किला [illegible] शुद्धा रास्ते से मु0नं[illegible]50 के किला नं0 5 में से 1 बिस्वा रास्ता कटान कर[illegible] चाहते है। बहस सु[illegible] प्रार्थी अधिवक्ता ने दोराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी ने जहा से रास्ता चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:57 IST
Reason: SelfAttested

उसका मुरब्बा नं0 प्रार्थनापत्र में सहवन से 18/49 के किला नं0 5 लिख दिया जबकि प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नं0 18/50 के किलानं0 5 में रास्ता चाहता है पटवारी रिपोर्ट भी मुरब्बा नं0 18/50 के किला नं0 5 की उतरी सीमा में रास्ता की रिपोर्ट की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुवे मुरब्बा नं0 18/50 के किला नं0 5 की उतरी सीमा में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत के आदेश फरमावे।

पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन अध्ययन व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 18/50 के किला नंबर 5 में से 1 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 5 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता नहीं है । हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कटानी मार्ग से निकटतम है। किला नं0 5 के उतर की तरफ रास्ता प्रस्तावित है। इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 18/50 के किला नंबर 5 की उतरी तरफ सीमा के साथ साथ 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:57 IST
Reason: SelfAttested